

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 107 / 2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री पंकज मिततल पुत्र श्री संजय कुमार मित्तल
मै० हर्ष ट्रेडिंग कम्पनी, 28 द्वितीय ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
-विक्रेता-
2. श्रीमती नीनादेवी पत्नी श्री नरेश मित्तल
मै० हर्ष ट्रेडिंग कम्पनी, 28 द्वितीय ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
-(हॉलसेलर व मालिक)-
3. श्रीमती इन्द्रजीत पुत्र श्री कालाराम
मैसर्स :- इन्द्रजीत इन्टरप्राईजेज, रविदासनगर, श्रीगंगानगर।
-(हॉलसेलर)-

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय

दिनांक : 18.10.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्रीकंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.03.2023 को बाद दोपहर बाद 6.30 पी.एम. का मै० हर्ष ट्रेडिंग कम्पनी, 28 द्वितीय ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता पंकज मिततल पुत्र श्री संजय कुमार मित्तल (विक्रेता) को अपना परिचय देकर संस्थान में कार्टुनो में 48 बोतल प्लास्टिक पैक रखी खाद्य पदार्थ **Ready ato Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा संस्थान में संस्थान में कार्टुने मे 1 लीटर की 48 बोतल प्लास्टिक पैक खाद्य पदार्थ **Ready ato Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **Ready ato Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **Ready ato Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे पंकज मित्तल पुत्र श्री संजय कुमार मित्तल एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक विमल कुमार पुत्र कलवन्त राय को देकर अराल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** 1 लीटर 4 मूल बोतले प्लास्टिक पैक विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** का नगद भुगतान 240/- रुपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** 1 लीटर 4 प्लास्टिक पैक बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1713 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर रिलप के-1713** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे पंकज मित्तल पुत्र श्री संजय कुमार मित्तल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।


अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./412/Act/2023/412 Dated 06-04-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1713 Misbranded-Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त पंकज मित्तल पुत्र श्री संजय कुमार मित्तल मैसर्स हर्ष ट्रेडिंग कम्पनी, 28 द्वितीय ब्लॉक, पुरानी आवादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.09.2023 को प्रस्तुत किया गया।


परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि उपरोक्त प्रार्थी मकान नम्बर 1/279 हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी इन्दरजीत इन्टरप्राइजेज , दुकान रविदास नगर नजदीक रविदास मन्दिर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक/ दिनांक का दिया है कि आपकी दुकान में **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** की जांच की गई तो सरसों **Misbranded-Food** तेल पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** का सैम्पल **K-1713** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./412/Act/2023/412 Dated 06-04-2023 द्वारा **Misbranded-Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी इन्दरजीत इन्टरप्राइजेज , दुकान रविदास नगर नजदीक रविदास मन्दिर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी कि दुकान में **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** की जांच की गई तो **Misbranded-Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर


बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Ready to Serve Fruit Beverages (Mahi Mango Brand)" bearing Code No and Sr. No. K-1713, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त पंकज मित्तल पुत्र श्री संजय कुमार मित्तल एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त पंकज मित्तल पुत्र श्री संजय कुमार मित्तल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 12,000-00 (अखरे रूपये बारह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में पंकज मित्तल पुत्र श्री संजय कुमार मित्तल खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा)।
श्रीगंगानगर।